

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3 /विविध-01-61/2025-

267(3)

स्वा0, पटना, दिनांक :

20/3/26

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के त्रिन् चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सकों के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सगहरी, मुजफ्फरपुर	11.07.2000
2	डा० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, भरतखंड, परवत्ता, खगड़िया	18.01.96
3	डा० मितांशु राज, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलखुआ, सहरसा	30.12.99
4	डा० अनुष्का राज, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैरवा, सिवान	28.12.98
5	डा० दिनकर कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सकसोहरा, बेलछी, पटना	25.12.89
6	डा० रौशन कुमार भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, किरतपुर, दरभंगा	30.12.91
7	डा० संतोष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा	10.01.90
8	डा० सगुफता सोमी, चिकित्सा पदाधिकारी, शिशु विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा	11.11.94
9	डा० शिव शंकर राज, चिकित्सा पदाधिकारी, उप कारा, रोसड़ा, समस्तीपुर	10.01.94

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठ्यक्रम हेतु प्रदान की जा रही है।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(विनाद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक : 267(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक: 20/3/26

प्रतिलिपि: महालेखाकार (लै० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विनाद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव